

दिनांक:—06.12.2017

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को अवलोकन किया। संशोधित शीर्षक संलग्न पत्रावली है। मृतक के वारिस की ओर से AD सोनीराम शर्मा उपस्थित है। अतः शीर्षक के साथ दिनांक 09.06.2017 की डिक्री की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भेजकर लिखा जावे कि मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसान का इन्द्राज हो। अन्य आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।



(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official